कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, गोण्डा।

पत्रांक /जि0का0अधि0/विज्ञापन/2026–27/दिनांक 11-09-2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3313/58–1–2025(197687)दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद गोण्डा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओ में रिक्त ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदो पर मानदेय आधारित नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रकिया के तहत ऑगनबाड़ी भर्ती पोर्टल upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदो का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	परियोजना का नाम	शहरी/ग्रामीण	रिक्त पदो का विवरण (ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री)
1	वजीरगंज	ग्रामीण	08
2	तरबगंज	ग्रामीण	11
3	रूपईडीह	ग्रामीण	16
4	परसपुर	ग्रामीण	09
5	पण्डरी कृपाल	ग्रामीण	04
6	नबाबगंज	शहरी	07
7	मुजेहना	ग्रामीण	09
8	मनकापुर	ग्रामीण	07
9	कटरा बाजार	ग्रामीण	06
10	झंझरी	ग्रामीण	03
11	इटियाथोक	ग्रामीण	09
12	हलधरमऊ	ग्रामीण	05
13	शहर	शहरी	04
14	कर्नलगंज	ग्रामीण	04
16	छपिया	ग्रामीण	05
16	बेलसर	ग्रामीण	06
17	बभनजोत	ग्रामीण	15
	योग		**128**

विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु शासनादेशानुसार नियम एवं शर्ते निम्नवत् है :–

1. विज्ञापित पदो पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगे और ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगे।
2. रिक्त पदो (आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत/वार्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि दिनांक 01.07.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
5. ग्राम सभा/वार्ड से विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता को वरीयता दी जायेगी।
6. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगे।
7. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–राज0, दिनांक 30.09.2011(यथा संशोधित)के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण समाज कल्याण अनुभाग–2, शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015, दिनांक 14 सितम्बर 2015(यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
8. मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या ए 4677/2023 श्रीमती नीलम पाण्डेय एवं अन्य बनाम राज्य व अन्य में ऑगनबाड़ी केन्द्र दयानन्द नगर–6, मेवतियान–8 में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती प्रकिया मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोण्डा

9. उपरोक्त विज्ञापित पदो की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रकिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास) गोण्डा से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार प्राप्त की जा सकती है।
10. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाईट **http://upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म में किया गया होगा।
11. आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.10.2026 रात्रि 12:00 बजें तक होगी।
12. रिक्त पदो का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय बेवसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर देखा जा सकता है।

(संजय कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।

पृष्ठांकन संख्या C-1501/तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदय गोण्डा।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गोण्डा।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को रिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रो की सूची एवं संबंधित विज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया NIC की वेबसाइट पर प्रचार प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करे।
4. समस्त बाल विकास परियेाजना अधिकारी जनपद गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापन की प्रति खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करे।
5. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोण्डा